"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 20, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-72/2014/वाक/पांच (85). —— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-10-42/2014/वाक/पांच(38) दिनांक 04-03-2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की वर्तमान अनुसूची के अनुक्रमांक 7 के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाय :-

7.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र	क - (एक) आयरन ओर तथा आयरन ओर पैलेट (दो) कोयला (तीन) बाक्साईट (चार) केलसाइंड एल्यूमिना	6
		ख - (एक) कोकिंग कोल	3
		यदि उपरोक्तानुसार खंड क के क्रमांक (एक) से (चार) एवं खण्ड ख के क्रमांक (एक) में वर्णित मालों पर छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो तथा इन मालों के उपयोग से निर्मित माल का छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय न हो.	

2. यह संशोधन दिनांक 01-12-2014 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ-10-72/2014/वाक/पांच (85). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-72/2014/वाक/पांच (85) दिनांक 05-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th December 2014

NOTIFICATION

No. F-10-72/2014/CT/V (85). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in notification No. A-10-42/2014/CT/V (38) dated 04-03-2014.

AMENDMENT

In the said notification, for the existing Schedule against serial No.7 the following entry shall be substituted :-

7.	All local areas in the State of Chhattisgarh	A- (i) Iron ore & Iron ore pellet (ii) Coal (iii) Bauxite (iv) Calcined Alumina	6
		B - (i) Coking Coal	3
		When the goods specified in Sr. No. (i) to (iv) of Part A and Sr. No. (i) of Part B above, have not borne tax under section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and goods manufactured by use of these goods are not sold within the Chhattisgarh State or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of territory of India.	

2. This amendment shall deemed to have come into force with effect from 01-12-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014— अग्रहायण 21, शक 1936

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 8 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 की शक्तियां छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th December 2014

NOTIFICATION

No. F 7-1/2013/32 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, confers the power on the Rent Control Tribunal, as specified in Section 8 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 9 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की शक्तियां छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक को प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-1/2013/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-12-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th December 2014

NOTIFICATION

No. F 7-1/2013/32 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, confers the power on the Rent Controller, as specified in Section 9 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.